भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *291

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम

+*291. श्री सुखदेव भगत:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बावजूद अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में साक्षरता दर कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ग) आश्रम विद्यालय योजना में बुनियादी ढांचे और कर्मियों की कमी, जिसके कारण स्वीकृत विद्यालयों में से चालीस प्रतिशत से अधिक कार्यशील नहीं हैं, सहित विभिन्न चुनौतियों / अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जिसके माध्यम से बाईस लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है, के तहत धनराशि का समय पर संवितरण किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन विफलताओं को सुधारने और जनजातीय शिक्षा कार्यक्रमों का कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय लागू किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *291 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर समग्र जनसंख्या की तुलना में कम बनी हुई है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अंतर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

(प्रतिशत में)

वर्ष	अनुसूचित जनजाति	सभी
2001	47.10	64.84
2011	59	73
2017-18	67.7	76.9
2023-24	73.40	80.90

स्रोत: 2001 और 2011 तथा 2017-18 और 2023-24 की जनगणना - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(ख) सरकार अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से समग्र शिक्षा अभियान को लागू कर रहा है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर से संबंधित बच्चों तक पहुँचती है। यह योजना नामांकन, प्रतिधारण और लैंगिक समानता के विभिन्न संकेतकों पर प्रतिकूल प्रदर्शन के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के संकेन्द्रण के आधार पर पहचाने गए विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) पर भी ध्यान केंद्रित करती है। कुल 109 अजजा एसएफडी की पहचान की गई है, जिनकी आबादी 25% से अधिक और उससे अधिक है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना को भी लागू कर रहा है। इस योजना का एक उद्देश्य वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीओएचई), छात्रवृत्ति प्रभाग, पीएम-यूएसपी योजना के तहत दो छात्रवृत्ति घटक योजनाओं को लागू कर रहा है, अर्थात् (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस) और (ii) जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एसएसएस) जो अजजा सहित सभी छात्रों को लाभान्वित करती है।

सरकार ने नवभारत साक्षरता कार्यक्रम नामक एक केंद्र प्रायोजित अभिनव योजना को मंजूरी दी है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'उल्लास: समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ' के नाम से जाना जाता है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्हें उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिल पायी है।

'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का क्रियान्वयन डीओएसईएल द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि कक्षा आठ में उनकी पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर और शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम/उपाय क्रियान्वित कर रहा है:

(i) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): जनजातीय बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में 728 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत मौजूदा 288 विद्यालयों के अतिरिक्त, लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के नामांकन के लिए राज्य द्वारा उपयुक्त भूमि के प्रावधान तथा मानदंड को पूरा करने वाले ब्लॉकों में 440 नए विद्यालय (कुल मिलाकर 728 ईएमआरएस) स्थापित किए जाने हैं। आज तक कुल 719 स्थानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 477 विद्यालय क्रियाशील हो चुके हैं। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए इन विद्यालयों में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:-

1. शैक्षिक अवसंरचना:

- आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ सुसज्जित कक्षाएँ।
- विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ।
- विविध शिक्षण संसाधनों के साथ पुस्तकालय।

2. आवास और सुविधाएँ:

- छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएँ।
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास, जिनमें बिस्तर, फर्नीचर और स्वच्छता सुविधाओं जैसी आवश्यक सुविधाएँ हों।

3. खेल और पाठ्येतर सुविधाएँ:

- खेल के मैदान और खेल उपकरण।
- संगीत, कला और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएँ

4. स्वास्थ्य और पोषण:

- नियमित स्वास्थ्य जाँच और चिकित्सा सुविधाएँ।

5. आईटी और डिजिटल लर्निंग:

- डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएँ। इंटरनेट एक्सेस के साथ कंप्यूटर लैब।

6. व्यावसायिक प्रशिक्षण:

- रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ii) छात्रवृत्ति योजनाएं: मंत्रालय बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए पांच छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

i. अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
ii. अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
iii. अजजा छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।
iv. अजजा छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
v. अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

(iii) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को आवासीय, गैर-आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को चलाने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है तथा कम साक्षरता वाले जिलों (जैसा कि 2011 की जनगणना में परिभाषित किया गया है) में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

(iv) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत: 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए पीएम जनमन का लक्ष्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। अभियान के तहत उपायों में से एक समग्र शिक्षा के तहत वंचित क्षेत्रों में 500 छात्रावासों का निर्माण है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
(v) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: डीएजेजीयूए के तहत, उपायों में से एक समग्र शिक्षा के तहत 1000 छात्रावासों का निर्माण है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, छात्रावासों, सरकारी/राज्य जनजातीय आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन भी अभियान के तहत शामिल है, जिस पर राज्य सरकारों के प्रस्तावों के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना है।
(vi) राज्य सरकारें भी अपने स्वतंत्र कार्यक्रम चलाती हैं। उदाहरण के लिए, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल चलाते हैं।

(ग) आश्रम विद्यालय दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करते हैं, जहाँ शैक्षिक संसाधनों की कमी है, और जहाँ मुख्यधारा के विद्यालय स्थापित करना कठिन है। वे जनजातीय छात्रों के लिए एक विशेष पहल हैं। आश्रम विद्यालय जनजातीय शिक्षा को प्रभावित करने वाली समस्याओं जैसे नामांकन न होना, पढ़ाई छोड़ देना और छात्रों की खराब गुणवत्ता को रोकने का काम करते हैं। राज्य सरकारें इन आश्रम विद्यालयों के संचालन और समग्र रखरखाव तथा गुणवत्ता जाँच के लिए जिम्मेदार हैं।

इससे पहले, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) एक अलग योजना "जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" चला रहा था, जिसके तहत आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान की जाती थी। आश्रम विद्यालय के निर्माण के उपाय को 2018-19 के दौरान 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)' और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान की योजना में शामिल किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्माण लागत प्रदान की और राज्य सरकार इन आश्रम विद्यालयों के संचालन और समग्र रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी।

सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नामक एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति वाले सभी गाँवों और कम से कम 500 अनुसूचित जनजाति वाले लोगों के साथ-साथ कम से कम 50 अनुसूचित जनजाति वाले आकांक्षी ब्लॉक शामिल हैं। आश्रम विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण घटक आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, सरकारी/राज्य जनजातीय आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर योजना के तहत अतिरिक्त कक्षाएँ, शौचालय ब्लॉक, छात्रावास, फर्नीचर, स्कूल में प्रमुख कार्य, शिक्षक और कर्मचारी छात्रावास जैसी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है।

आश्रम विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अनंतिम दरें नीचे दी गई हैं:

विवरण	स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम राशि (लाख रुपए में)
कक्षा (50 विद्यार्थी)	35
शौचालय ब्लॉक	20
छात्रावास (50 छात्र)	275 (पीएम जनमन मानदंडों के अनुरूप)
फर्नीचर (प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष)	2.75
विद्यालय में प्रमुख कार्य	75
आवासीय विद्यालय में छात्रावास में पढ़ाना (बाथरूम और कॉमन किचन के साथ 12 स्टूडियो अपार्टमेंट तक)	175

(घ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के मामले में, छात्रवृत्ति प्रभाग (एमओटीए) राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है कि छात्रवृत्ति प्रस्ताव समय पर प्रसंस्कृत और धनराशि जारी करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से समय पर प्राप्त किए जाएं।

साथ ही, अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि जारी करने की प्रक्रिया एकल नोडल एजेंसी मॉडल के अनुसार की जाती है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति एसएनए खाते से डीबीटी मोड में वितरित की जाती है। एसएनए खाते में निधि के प्रवाह और उससे होने वाले व्यय की निगरानी पीएफएमएस रिपोर्ट के माध्यम से की जा सकती है। यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि राज्यों को सीएसएस के लिए निधियों का आवंटन समय पर और विभिन्न शर्तों को पूरा करने के बाद किया जाए। इस मॉडल के प्रभावी कार्यान्वयन से सीएसएस निधि के उपयोग, निधियों की ट्रैकिंग, राज्यों को निधियों की व्यावहारिक और समय पर निर्मुक्ति में अधिक दक्षता आई है।

(ङ) सरकार जनजातीय शिक्षा कार्यक्रमों सहित योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने, योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय स्तर पर राज्य अधिकारियों के साथ बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
ii. योजना में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनराशि जारी की जाती है।
iii. जीएफआर के मानदंडों के अनुसार धनराशि जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में उपयोग प्रमाण-पत्र पर जोर दिया जाता है।
iv. योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
v. अधिकारी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा करते समय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का भी पता लगाते हैं।
vi. समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से योजना/कार्यक्रम-वार प्रगति और निधियों के उपयोग की निगरानी भी की जाती है।
vii. इसके अलावा, समय-समय पर योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

*****